निर्णय
10.9.2024

[2024/554]

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

10.9.2024

वेदप्रकाश बनाम स्टेट

प्रकरण संख्या 05 वर्ष 2024

मुकदमा किस्म वाद अन्तर्गत धारा 136 एल आर Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
21.08.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.09.2024 को पेश हो।	
10-09.2024	पुकार पर फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार रिपोर्ट आदि के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जाकर पत्रावली नक्शा से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील शाखा दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:22:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या : 05/2024
अनवान मुकदमा :–
वेदप्रकाश पुत्र गोपीनाथ जाति नाथ साकिन बिसरासर तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ
–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थित :– श्री मनसाराम झोरड़ वकील –प्रार्थी
राजपेरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 10.9.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वकील प्रार्थी ने दिनांक 21.08.2024 को विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट इस प्रकार पेश किया कि रोही मौजा प्रेमपुरा खसरा सं. 1087 की 1.4670 है., 2051/907 की 0.532 है., 2053/908 की 2.6810 है. कुल 4. 6800 है. भूमि में प्रार्थी की 215/8424 हिस्सा में भुमि खातेदारी भुमि दर्ज कागजात है। प्रार्थी गावं बिसरासर में स्थाई रुप से निवास करता है तथा उक्त भूमि में प्रार्थी का निवास स्थान गलत रुप से शेखचुलिया दर्ज है जिससे प्रार्थी को परेशानीयो का सामना करना पडता है इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि में दर्ज अपना पता शेखचुलिया के स्थान पर बिसरासर दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसी प्रकार उक्त भूमि में दर्ज प्रेम देवी पुत्री भानीनाथ हिस्सा 215/2808 का, मनोहर पुत्री भानीनाथ हिस्सा 215/2808 का, महेशर पत्नी भानीनाथ हिस्सा 215/2808 का, सुमन नाथ पुत्री गोपीनाथ हिस्सा 215/8424 का, सुरजनाथ पुत्र भानीनाथ हिस्सा 215/2808 का, साहबराम पुत्र भानीनाथ हिस्सा 215/2808 का, सिलोचना पत्नी गोपीनाथ हिस्सा 215/8424 का भी वर्तमान पता गलत रुप से शेखचुलिया दर्ज है तथा ये व्यक्ति प्रार्थी के परिवार के ही सदस्य है तथा स्थाई रूप से गांव बिसरासर में निवास करते है इसलिये प्रार्थी इन परिवार के सदस्यो का गलत रुप से दर्ज पता शेखचुलिया के स्थान पर बिसरासर दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी व उक्त वर्णित परिवार के सदस्यों के पूर्वज भानीनाथ के नाम से जब उक्त भूमि दर्ज थी तब जमांबदी में निवास स्थान का पता बिसरासर सही रुप से दर्ज था लेकिन वाद वफात भानीनाथ के बाद वर्तमान जमांबदी में प्रार्थी व उक्त परिवार के सदस्यों के निवास स्थान का पता गलत रुप से शेखचुलिया दर्ज किया गया है जिससे साबित है कि उक्त भुमि में पुर्व में पता सही रुप से बिसरासर दर्ज था तथा वर्तमान मे गलत रुप से पता शेखचुलिया जमांबदी परिवर्तन के दौरान किया गया है इसलिये प्रार्थी उक्त भुमि में दर्ज निवास स्थान का पता शेखचुलिया के स्थान पर बिसरासर दर्ज करवाने का व इसीनुसार रिकार्ड दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के आधारकार्ड में भी निवास स्थान का पता बिसरासर दर्ज है तथा शेखचुलिया उक्त जमांबंदी के अलावा कही पर भी दर्ज नही है लेकिन गलत पता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:22:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज रहने से प्रार्थी को अनैक परेशानीयो का सामना करना पड रहा है इसलिये प्रार्थी उक्त भुमि में दर्ज निवास स्थान के पते को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार प्रार्थना पत्र मय सबुत प्रस्तुत कर कहा की उक्त भुमि की जमांबदी में दर्ज प्रार्थी का व उक्त परिवार के सदस्यो का निवास स्थान का पता शेखचुलिया के स्थान पर बिसरासर दर्ज कर देवे लेकिन उन्होने ऐसा कहना मानने से दिनांक 20.8.2024 को बमुकाम पल्लु में इन्कार हो गये पस यही बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रेमपुरा बहक केसरदेवी वगैरह, पर्चा खतौनी प्रेमपुरा बहक जोधनाथ, प्रार्थना पत्र मय पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 16.08.2024, फोटोप्रति दस्तावेज मूल निवास प्रमाण पत्र महेश्वरी देवी, साहबनाथ, फोटोप्रति आधारकार्ड पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व पल्लू की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है।

वकुलाए फरिकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दूसरी तरफ राजपेरोकार ने अपनी बहस में रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुऐ रोही मौजा प्रेमपुरा के खसरा सं. 1087 की 1.4670 है0, 2051/907 की 0.532 है0, 2053/908 की 2.6810 है0 कुल 4.6800 है0 भूमि में दर्ज वेदप्रकाश पुत्र गोपीनाथ, प्रेम देवी पुत्री भानीनाथ, मनोहर पुत्री भानीनाथ, महेशर पत्नी भानीनाथ, सुमन नाथ पुत्री गोपीनाथ, सुरजनाथ पुत्र भानीनाथ, साहबराम पुत्र भानीनाथ, सिलोचना पत्नी गोपीनाथ का निवास स्थान शेखचुलिया के स्थान पर बिसरासर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है शेंष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद हेतु तहसीलदार राजस्व पल्लू को पत्र लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास आज दिनांक 10.09.2024 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:22:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner